[2019] 10 एस. सी. आर 636

एम/एस। राष्ट्रीय राजमार्ग और आधारभूत संरचना

विकास निगम लिमिटेड।

वी.

एम/एस। बीएससीपीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

(2019 की सिविल अपील संख्या 6168)

अगस्त 7,2019

[आर. एफ. नरीमन और सूर्या कान्ट, जे. जे.]

मध्यस्थताः मध्यस्थता खंड चाहे कोई मध्यस्थता हो

खंड पुरस्कार पत्र (एल. ओ. ए.) की स्वीकृति के चरण में अस्तित्व में आएगा या क्या अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा जो तब मध्यस्थता खंड लाएगा।

उसमें निहित-तत्काल मामले में, प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आर. एफ. पी.)

अपीलार्थी द्वारा सड़क निर्माण के लिए भेजा गया था-एल. ओ. ए. में, भारत सरकार ने बोली दस्तावेज और डुप्लिकेट एल. ओ. ए. की हस्ताक्षरित प्रति को वापस करने का अनुरोध किया।

एल. ओ. ए. जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते को स्वीकार करना और निष्पादित करना-उत्तरदाता ने बोली प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया

और एक पावती के साथ विधिवत हस्ताक्षरित फैक्स द्वारा प्राप्त एल. ओ. ए. की संलग्न प्रति-2 साल के बाद, अपीलार्थी ने वापस लेने का फैसला किया जिला परिषद से एन. ओ. सी. की अनुपलब्धता के कारण एल. ओ. ए. जो परियोजना के लिए भूमि के लिए अनिवार्य था-उच्च न्यायालय ने कहा

कि मध्यस्थता खंड मसौदा समझौते के मानक रूप में निहित है और इसका सामान्य संदर्भ मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए पर्याप्त था-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गयाः आर. एफ. पी. में निहित खंडों के अवलोकन से केवल यह पता चलेगा कि एक बोलीदाता समझौते के सभी चरणों में बोली प्रतिभूति की अयोग्यता और ज़ब्त के लिए उत्तरदायी है, इसके बावजूद कि पक्षों के बीच समझौते का निष्पादन नहीं हो सकता है-बोली प्रक्रिया की अनुसूची प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि से शुरू होती है और रियायत समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त होती है, एल. ओ. ए. वस्तु संख्या 7 है और इस बोली प्रक्रिया का हिस्सा है।

दिल्ली के न्यायालय-यह कहना संभव नहीं है कि एक मसौदा समझौते में निहित एक मानक रूप मध्यस्थता खंड तब खंड 6.1 को हटा देगा और बोली की अनुसूची की पूरी योजना को बाधित करेगा।

636 एम/एस। एनएचआईडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. एम/एस। बीएससीपीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड।

यह मामला होने के नाते, स्वीकृति के स्तर पर भी

प्रक्रिया एल. ओ. ए., यदि पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें केवल दिल्ली के न्यायालयों द्वारा हल किया जा सकता है, न कि मध्यस्थता-क्षेत्राधिकार द्वारा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. आर. एफ. पी. में निहित खंडों के अवलोकन से केवल यह पता चलेगा कि एक बोलीदाता अयोग्यता के लिए उत्तरदायी है और

समझौते के सभी चरणों में बोली की प्रतिभूति को जब्त करना, इसके बावजूद कि पक्षों के बीच समझौते का निष्पादन नहीं हो सकता है। अभिव्यक्ति "के लिए उत्तरदायी होगा

खंड 2.1.14 में केवल इस संदर्भ में है, जिससे समाप्त हो जाता है।

यह स्पष्ट करते हुए कि एल. ओ. ए. को स्वीकार किए जाने के बाद भी, इस तरह की अयोग्यता और बोली प्रतिभूति की ज़ब्ती, यदि अन्य शर्तें मौजूद हैं, तो अपीलार्थी द्वारा की जा सकती है। यही व्याख्या खंड 2.6 के लिए भी लागू होती है। 3 और खंड 2.20। 7 .

[पैरा 14 और 15] [645-डी-एफ]

2. बोली प्रक्रिया की अनुसूची प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि से शुरू होती है और रियायत पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त होती है। समझौता, एल. ओ. ए. वस्तु संख्या 7 है और इस बोली प्रक्रिया का हिस्सा है। जिस क्षण ऐसा है, खंड 6.1 के तहत, विवाद

समाधान केवल दिल्ली के न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है। यह कहना संभव नहीं है कि एक मसौदा समझौते में निहित एक मानक रूप मध्यस्थता खंड तब खंड 6.1 को हटा देगा और बोली प्रक्रिया की अनुसूची की पूरी योजना को बाधित करेगा। यह वह है मामले में, यह स्पष्ट है कि एल. ओ. ए. की स्वीकृति के स्तर पर भी, यदि पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें केवल दिल्ली के न्यायालयों द्वारा हल किया जा सकता है, न कि मध्यस्थता द्वारा। [पैरा 17 और 18] [645-जी-एच; 646-ए]

पीएसए मुंबई इन्वेस्टमेंट्स पीटीई। सीमित वी। बोर्ड ऑफ

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी और

एक और (2018) 10 एस. सी. सी. 525-पर भरोसा किया गया।

आईनॉक्स विंड लिमिटेड v. थर्मोकैबल्स लिमिटेड (2018) 2 एस. सी. सी.

519 [2018] 1 एस. सी. आर. 86 संदर्भित है।

मामला कानून संदर्भ

[2018] 1 एससीआर 86

संदर्भित किया गया है

पै

रा 5

(2018) 10 एस. सी. सी. 525

उस पर भरोसा करें

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6168

देबल बनर्जी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , प्रसेनजीत केसवानी, अभिषेक सिंह, उपमन्यु तिवारी, कबीर शंकर बोस, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए। सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता। , अभय एन. दास, एस. जे. अमित, सतीश कुमार, विष्णु शंकर जैन, के. वी. खार्लिंगदोह, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे. 1. छुट्टी दे दी गई।

2. वर्तमान मामले में यह सवाल शामिल है कि क्या एक मध्यस्थता खंड पुरस्कार पत्र (संक्षिप्तता के लिए 'एल. ओ. ए.' के रूप में संदर्भित) स्वीकृति के चरण में अस्तित्व में आएगा, या क्या अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक होगा जो तब लाएगा

मध्यस्थता खंड उसमें निहित है।

3. वर्तमान मामले में विवाद को समझने के लिए आवश्यक कंकाल तथ्य यह है कि राज्य में सड़क निर्माण के लिए अपीलकर्ता द्वारा प्रस्ताव के लिए अनुरोध (संक्षिप्तता के लिए 'आर. एफ. पी.' के रूप में संदर्भित) भेजा गया था। मेघालय से। जहां तक आर. एफ. पी. का संबंध है, एल. ओ. ए. दिनांकित एक पत्र द्वारा है, जिसमें भारत सरकार ने बोली दस्तावेज का उल्लेख किया है और एल. ओ. ए. की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर अपनी स्वीकृति के रूप में डुप्लिकेट एल. ओ. ए. की हस्ताक्षरित प्रति वापस करने का अनुरोध किया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि "इसके बाद, आपको आर. एफ. पी. के खंड 1.3 के अनुसार एल. ओ. ए. जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर अनुबंध समझौते को निष्पादित करना होगा।

4. इस पत्र के जवाब में, 05.11.2014 पर, प्रत्यर्थी ने बोली प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और विधिवत रूप से फैक्स द्वारा प्राप्त एल. ओ. ए. की एक प्रति संलग्न की।

एक स्वीकृति के साथ हस्ताक्षर किए। 08.11.2014 दिनांकित एक और संचार द्वारा, प्रतिवादी तब 13.11.2014 पर उपरोक्त कार्य के लिए अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहता था। अगस्त, 2016 तक कुछ नहीं हुआ।

सिवाय इसके कि आर. एफ. पी. के तहत आवश्यक गारंटी प्रत्यर्थी द्वारा जीवित रखी गई थी। अंत में, 04.08.2016 पर, अपीलार्थी ने खासी पहाड़ी स्वायत्त जिला परिषद से अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुपलब्धता के कारण एल. ओ. ए. को वापस लेने का फैसला किया, जो एक अनिवार्य शर्त थी।

परियोजना के लिए भूमि के लिए नहीं। यह इस तथ्यात्मक परिदृश्य में है कि एम/एस।

एनएचआईडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. एम/एस। बीएससीपीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

इस मामले में विवाद उत्पन्न हुआ है, जो यह है कि क्या एल. ओ. ए. एक बाध्यकारी अनुबंध है, और आगे यह कि, यदि यह एक बाध्यकारी अनुबंध पाया जाता है, तो क्या पक्षों के बीच मसौदा समझौते का मध्यस्थता खंड है।

लात मारेंगे।

5. दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने दिनांकित 26.10.2018 के फैसले में मसौदा समझौते के विभिन्न खंडों को पढ़ा जो आर. एफ. पी. का हिस्सा है।

मसौदा समझौते का मानक रूप, एक मध्यस्थता खंड है, और यह कि इसका एक सामान्य संदर्भ काफी अच्छा है, ताकि एक मध्यस्थ हो सके नियुक्त किया गया। इसके बाद अदालत ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति शियावैक्स जल वज़ीफदार को नियुक्त किया, जिसके बाद दो अन्य मध्यस्थों को अंतर्राष्ट्रीय वैकल्पिक विवाद समाधान केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और एक अन्य (2018) 10 एस. सी. सी. 525 इस मामले को पूरी तरह से कवर करेंगे। उन्होंने हमारे अवलोकन के लिए एक चार्ट तैयार किया जिसमें उन्होंने पीएसए मुंबई के तथ्यों के साथ इस मामले की समानता की ओर इशारा किया। निवेश पीटीई। लिमिटेड का मामला-उक्त निर्णय में हमारे द्वारा निर्दिष्ट अस्वीकरण खंड; बोली प्रक्रिया की अनुसूची; एल. ओ. ए. पर हस्ताक्षर करना; और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि बोली लगाने की पूरी प्रक्रिया भारत के कानूनों के अनुसार नियंत्रित और समझी जाएगी और बोली प्रक्रिया के तहत या उसके संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी विवादों पर मुंबई के न्यायालयों का विशेष अधिकार क्षेत्र होगा; और यह तथ्य कि प्राधिकरण अंतिम अनुबंध में प्रवेश करने से पहले किसी भी स्तर पर बोली प्रक्रिया को अपने विवेक से रद्द कर सकता है।

समझौता।

7. उनके अनुसार, पीएसए मुंबई इन्वेस्टमेंट्स पीटीई के बीच मामूली अंतर है। एक विशेष प्रयोजन वाहन के गठन के संदर्भ वाला सीमित निर्णय, जो इस मामले के तथ्यों में अनुपस्थित है, यह पता लगाने के उद्देश्य से पूरी तरह से महत्वहीन होगा कि क्या इस मामले में कोई समझौता मौजूद है और क्या एक मानक रूप में निहित मध्यस्थता खंड, इसलिए, पक्षों को नियंत्रित करेगा।

8. प्रत्यर्थी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सुश्री किरण सूरी ने हमें विवादित फैसले के साथ-साथ [2019] 10 एस. सी. आर. के बारे में बताया है।

हमारा निर्णय, और विभिन्न मतभेदों की ओर इशारा किया है जो उनके अनुसार मामले को उनके पक्ष में समाप्त करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात,

उनके अनुसार, जो महत्वपूर्ण है वह खंड 2.1.14 में निहित है, जो यह स्पष्ट करता है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में, जिस क्षण चरण निर्धारित किया गया है।

समझौते के एल. ओ. ए. तक पहुँचने पर, पक्षों के बीच समझौता "समाप्त होने के लिए उत्तरदायी होगा". जिससे यह संकेत मिलता है कि एल. ओ. ए. के स्तर पर, वास्तव में, पक्षों के बीच एक समझौता हो गया है। 9. उन्होंने खंड 2.6 पर भी भरोसा किया। 3 और खंड 2.20। 7 यह इंगित करने के लिए कि, वर्तमान मामले के तथ्यों पर, चूंकि एक समझौता किया गया था

एल. ओ. ए. की स्वीकृति के चरण में प्रवेश करने पर, मानक रूप में निहित मध्यस्थता खंड निश्चित रूप से लागू होगा।

10. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, वर्तमान मामले में आर. एफ. पी. में निहित कुछ महत्वपूर्ण खंडों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। ये खंड इस प्रकार हैंः

' अस्वीकरण

यह आर. एफ. पी. कोई समझौता नहीं है और न तो संभावित बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा कोई प्रस्ताव और न ही निमंत्रण है। इस आर. एफ. पी. का उद्देश्य इच्छुक पक्षों को ऐसी जानकारी प्रदान करना है जो इस आर. एफ. पी. के अनुसार अपने वित्तीय प्रस्ताव (बी. आई. डी.) देने में उनके लिए उपयोगी हो सकती है। इस आर. एफ. पी. में ऐसे कथन शामिल हैं जो विभिन्न मान्यताओं और आकलनों को दर्शाते हैं।

परियोजना के संबंध में प्राधिकरण।

..... इस आर. एफ. पी. के मुद्दे का मतलब यह नहीं है कि प्राधिकरण एक बोलीदाता का चयन करने या चयनित बोलीदाता जे. वी. नियुक्त करने के लिए बाध्य है या

ठेकेदार, जैसा भी मामला हो, परियोजना के लिए और प्राधिकरण के पास सभी या किसी भी बोलीदाता या बोली को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

किसी भी कारण को निर्दिष्ट करना। खंड 1.3:

प्राधिकरण निम्नलिखित अनुसूची का पालन करने का प्रयास करेगाः घटना का विवरणः

1. प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथिः 09.06.2014

2. बोली-पूर्व बैठकः 16.06.2014

3. नवीनतम प्रश्नों के लिए प्राधिकरण की प्रतिक्रियाः 04.07.2014 एम/एस।

एन. एच. आई. डी. निगम लिमिटेड, v. एम/एस। बीएससीपीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

4. बी. आई. डी. दस्तावेज़ की बिक्री की अंतिम तिथिः 25.07.2014

5. बोली की नियत तारीखः 28.07.2014 1100 घंटे तक। 6. बोलियों का उद्घाटनः 28.07.2014 1100 बजे तक

7. पुरस्कार पत्र (एल. ओ. ए.): बोली देय तिथि के 30 दिनों के भीतर

खंड 3. 5 चयन के बाद, प्राधिकरण द्वारा चयनित बोलीदाता को एक पुरस्कार पत्र ('एल. ओ. ए.') जारी किया जाएगा और चयनित बोलीदाता, एल. ओ. ए. की प्राप्ति के 7 (सात) दिनों के भीतर, हस्ताक्षर करेगा और स्वीकृति में एल. ओ. ए. की प्रतिलिपि वापस करेगा।

वहाँ से। यदि एल. ओ. ए. की डुप्लिकेट प्रति पर विधिवत हस्ताक्षर किए जाते हैं

इसके तहत, ऐसे बोलीदाता की बी. आई. डी. प्रतिभूति को एल. ओ. ए. को स्वीकार करने में चयनित बोलीदाता की विफलता के कारण नुकसान के रूप में और एन. ओ. आई. में 3.3 के साथ असंगति के रूप में उपयुक्त बनाया जाए। 3 . खंड 3. 6

चयनित बोलीदाता द्वारा उपरोक्त एल. ओ. ए. की स्वीकृति के बाद, यह बोलीदाता को खंड 1.3 में निर्धारित अवधि के भीतर समझौते को निष्पादित करने के लिए प्रेरित करेगा। चयनित बोलीदाता समझौते में किसी भी विचलन, संशोधन या संशोधन की मांग करने का हकदार नहीं होगा।

खंड 2.20। 5

चयनित बोलीदाता की बी. आई. डी. प्रतिभूति, बोलीदाता द्वारा अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर करने और उसके प्रावधानों के अनुसार प्रदर्शन प्रतिभूति प्रस्तुत करने पर बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी। प्राधिकरण, चयनित बोलीदाता के विकल्प पर, समझौते के प्रावधानों के अनुसार उसके द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रदर्शन प्रतिभूति की राशि में बी. आई. डी. प्रतिभूति की राशि को समायोजित कर सकता है।

खंड 6.1

बोली प्रक्रिया को [2019] 10 एस. सी. आर. द्वारा नियंत्रित किया जाएगा और इसका अर्थ लगाया जाएगा।

इसके अनुसार, भारत के कानूनों और दिल्ली के न्यायालयों के पास इस उद्देश्य के तहत उत्पन्न होने वाले सभी विवादों पर विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

बोली प्रक्रिया के संबंध में और/या।

खंड 6.2 (ए)

प्राधिकरण, अपने विवेकाधिकार पर और बिना किसी खर्च के

(क) बोली प्रक्रिया को निलंबित और/या रद्द करें और/या बोली प्रक्रिया में संशोधन और/या पूरक करें या तिथियों या अन्य में संशोधन करें। उससे संबंधित नियम और शर्तें; "

11. यहाँ तक कि उपरोक्त खंडों पर एक सरसरी नज़र डालने से भी पता चलेगा कि

एक या दो छोटे अंतरों में, ये खंड पी. एस. ए. मुंबई निवेश पी. टी. ई. में निहित खंडों के लगभग समान हैं। सीमित 12. इनमें से कुछ खंडों को निर्धारित करने के बाद, इस न्यायालय ने पी. एस. ए. मुंबई इन्वेस्टमेंट्स पी. टी. ई. में अपने आदेश में कहा। लिमिटेड का मामला अभिनिर्धारित किया गयाः

12) उपरोक्त खंडों को एक साथ पढ़ने पर, कुछ बातें

स्पष्ट हो जाएँ -

(i) सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण आर. एफ. पी. में सबसे आगे एक अस्वीकरण यह स्पष्ट करता है कि केवल एक बोली प्रक्रिया चल रही है।

((ii) यह समान रूप से स्पष्ट है कि इस तरह की बोली प्रक्रिया उत्तरदाता संख्या 1 द्वारा जारी किए जाने वाले पुरस्कार पत्र को दो और पत्रों के साथ समाहित कर लेगी। मसौदे से पहले अनुसूची के तहत उठाए जाने वाले कदम

रियायत समझौता अंततः दोनों के बीच एक समझौता बन जाता है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 और विशेष प्रयोजन वाहन जो है इस उद्देश्य के लिए संघ द्वारा गठित,

((ग) बोली प्रक्रिया के पूरे चरण में, विवाद समाधान के लिए मंच विशेष रूप से मुंबई के न्यायालयों के पास है, और

((iv) रियायत समझौते में प्रवेश करने के चरण तक, बोली प्रक्रिया को बिना कुछ दिए रद्द किया जा सकता है।

प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जो भी कारण हो।

14) भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 7 के तहत किसी प्रस्ताव को वादे में बदलने के लिए, स्वीकृति पूर्ण एम/एस होनी चाहिए।

एनएचआईडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. एम/एस। बीएससीपीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

और अयोग्य। इस मामले के तथ्यों पर यह स्पष्ट है कि कोई नहीं है

पुरस्कार पत्र द्वारा पूर्ण और अयोग्य स्वीकृति

ऐसा कोई समझौता होने से पहले जिसे लागू किया जा सके, दो या तीन बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे।

पार्टियों के बीच एक अनुबंध के रूप में कानून में।

19) श्री डेव ने आई. एन. ओ. एक्स. विंड लिमिटेड बनाम के निर्णय पर भी दृढ़ता से भरोसा किया। थर्मोकैबल्स लिमिटेड, (2018) 2 एस. सी. सी. 519। इसके बाद पैरा 17-19 में इस निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया कि एम. आर. इंजीनियरों और ठेकेदारों में निर्धारित सामान्य नियम के लिए एक अपवाद।

प्राइवेट लिमिटेड (2009) 7 एस. सी. सी. 696 को मध्यस्थता खंडों वाले अभ्यास के मानक रूपों के रूप में भी मानक तक बढ़ाया जाएगा। व्यक्तिगत व्यक्तियों के बीच प्रपत्र और न कि केवल व्यावसायिक मूल्यांकन के मानक रूप।

20) हम जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि आईनॉक्स विंड लिमिटेड मामले में इस फैसले का इस मामले के तथ्यों पर कोई तरीका नहीं होगा क्योंकि हमारे द्वारा यह पाया गया है कि वर्तमान मामले के तथ्यों में पक्षों के बीच कोई समझौता नहीं है, इसलिए यह स्पष्ट करते हुए कि रियायत समझौते के मसौदे में निहित मध्यस्थता खंड लागू नहीं होगा।

13. हालाँकि, प्रत्यर्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने खंड 2.1.14 पर भरोसा किया, जो इस प्रकार हैः

" 2.1.14 एक बोलीदाता बी. आई. डी. प्रतिभूति की अयोग्यता और ज़ब्त के लिए उत्तरदायी होगा, यदि बी. आई. डी. का कोई कानूनी, वित्तीय या तकनीकी सलाहकार है। परियोजना के संबंध में प्राधिकरण बोलीदाता, उसके सदस्य या उसके किसी सहयोगी द्वारा, जैसा भी मामला हो, किसी भी कार्य में लगा हुआ है।

बोली प्रक्रिया के दौरान या एल. ओ. ए. के (I) मुद्दे या (ii) समझौते के निष्पादन के बाद ऐसी परियोजना से संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए तरीका। परियोजना से संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए एल. ओ. ए. जारी होने या समझौते के निष्पादन के बाद, यदि ऐसा कोई सलाहकार चयनित बोलीदाता या ठेकेदार द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो उसमें या एल. ओ. ए. या एल. ओ. ए. में इसके विपरीत कुछ भी होने के बावजूद। समझौता और किसी अन्य अधिकार या उपचार या प्राधिकरण के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, जिसमें बी. आई. डी. प्रतिभूति या प्रदर्शन प्रतिभूति का ज़ब्त और विनियोग शामिल है, जो प्राधिकरण के पास हो सकता है, एल. ओ. ए. या

समझौता, जैसा भी मामला हो, समाप्त होने के लिए उत्तरदायी होगा [2019] 10 एस. सी. आर.

लेकिन इसका कार्य समाप्त हो गया या इस आर. एफ. क्यू. के जारी होने की तारीख से 6 (छह) महीने पहले समाप्त कर दिया गया। न ही यह अयोग्यता होगी। जहां ऐसे सलाहकार परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से 3 (तीन) वर्ष की अवधि के बाद लगे हुए हैं, वहां आवेदन करें।

उन्होंने खंड 2.6 पर भी भरोसा किया। 3 और 2.20। 7 :

" 2.6. 3 यदि मूल्यांकन के दौरान या किसी भी समय समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले या उसके निष्पादन के बाद और दोष दायित्व, निर्वाह की अवधि के दौरान यह पाया जाता है कि बोलीदाता द्वारा एक या अधिक पूर्व-योग्यता शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, या बोलीदाता ने सामग्री गलत तरीके से प्रस्तुत किया है या दिया है

कोई भी भौतिक रूप से गलत या गलत जानकारी, बोलीदाता होगा

यदि अभी तक एल. ओ. ए. जारी करके या समझौते में प्रवेश करके ठेकेदार के रूप में नियुक्त नहीं किया गया है, और यदि चयनित बोलीदाता पहले ही एल. ओ. ए. जारी कर चुका है या समझौते में प्रवेश कर चुका है, जैसा भी मामला हो, तो वह तुरंत अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

यह आर. एफ. पी., प्राधिकरण द्वारा चयनित बोलीदाता या ठेकेदार को, जैसा भी मामला हो, लिखित में एक संचार द्वारा समाप्त होने के लिए उत्तरदायी होगा, प्राधिकरण के बिना किसी भी तरह से चयनित बोलीदाता या ठेकेदार के लिए उत्तरदायी होगा। ऐसी स्थिति में, प्राधिकरण बोली दस्तावेजों और/या समझौते के तहत प्राधिकरण को उपलब्ध किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बी. आई. डी. प्रतिभूति या प्रदर्शन प्रतिभूति को, जो भी मामला हो, नुकसान के रूप में जब्त करने और उपयुक्त बनाने का हकदार होगा।

2.20. 7 बी. आई. डी. प्रतिभूति को प्राधिकरण द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, प्राधिकरण के समय की लागत और प्रयास के लिए प्राधिकरण को देय नुकसान के रूप में जब्त और विनियोजित किया जाएगा।

अन्य अधिकार या उपाय जो बोली दस्तावेजों के तहत और/या समझौते के तहत, या अन्यथा, निम्नलिखित शर्तों के तहत प्राधिकरण को उपलब्ध हो सकता हैः

(क) यदि कोई बोलीदाता गैर-उत्तरदायी बी. आई. डी. प्रस्तुत करता है जैसा कि में परिभाषित किया गया है।

3.2 .

एम/एस। एनएचआईडी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। वी. एम/एस। बीएससीपीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(ख)

यदि कोई बोलीदाता भ्रष्ट आचरण में संलग्न है, इस आर. एफ. पी. की धारा 4 में निर्दिष्ट धोखाधड़ी अभ्यास, जबरदस्ती अभ्यास, अवांछनीय अभ्यास या प्रतिबंधात्मक अभ्यास;

यदि कोई बोलीदाता बोली की अवधि के दौरान अपनी बोली वापस ले लेता है।

((ग)

इस आर. एफ. पी. में निर्दिष्ट वैधता और संबंधित बोलीदाताओं और प्राधिकरण की आपसी सहमति से विस्तारित;

((घ)

चयनित बोलीदाता के मामले में, यदि वह निर्दिष्ट अवधि के भीतर विफल हो जाता है

समय सीमा -

((ख) समझौते पर हस्ताक्षर करना; या (iii) अवधि के भीतर प्रदर्शन सुरक्षा प्रदान करना।

समझौते में इसके लिए निर्धारित; या

यदि चयनित बोलीदाता ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं,

(ई)

प्रस्तुत करने से पहले उसका कोई भी उल्लंघन करता है

प्रदर्शन सुरक्षा।

14. उपरोक्त खंडों के अवलोकन से केवल यह पता चलेगा कि एक बोलीदाता समझौते के सभी चरणों में बोली सुरक्षा की अयोग्यता और ज़ब्त के लिए उत्तरदायी है, इसके बावजूद कि निष्पादन नहीं हो सकता है।

पक्षों के बीच समझौता।

15. खंड 2.1.14 में अभिव्यक्ति "समाप्त होने के लिए उत्तरदायी होगी" केवल इस संदर्भ में है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि इसके बाद भी

एल. ओ. ए. को स्वीकार किया जा सकता है, इस तरह की अयोग्यता और ज़ब्त बोली प्रतिभूति, यदि अन्य शर्तें मौजूद हैं, तो अपीलार्थी द्वारा की जा सकती है। यही व्याख्या खंड 2.6 के लिए भी लागू होती है। 3 और खंड 2.20। 7 .

17. बोली प्रक्रिया की यह अनुसूची प्रश्न प्राप्त करने की अंतिम तिथि से शुरू होती है और रियायत समझौते पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त होती है। एल. ओ. ए. वस्तु संख्या 7 है और इस बोली प्रक्रिया का हिस्सा है। द.

जब ऐसा होता है, तो जो स्पष्ट है वह यह है कि खंड 6.1 के तहत, विवाद का समाधान केवल दिल्ली के न्यायालयों द्वारा किया जा सकता है। 18. यह कहना संभव नहीं है कि एक मसौदा समझौते में निहित एक मानक रूप मध्यस्थता खंड तब खंड 6.1 को हटा देगा और 646 को बाधित करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बोली प्रक्रिया की अनुसूची की पूरी योजना। यह वह है

मामले में, यह स्पष्ट है कि एल. ओ. ए. की स्वीकृति के स्तर पर भी, यदि पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें केवल दिल्ली के न्यायालयों द्वारा हल किया जा सकता है, न कि मध्यस्थता द्वारा। यह मामला होने के कारण, यह स्पष्ट है कि पीएसए मुंबई इन्वेस्टमेंट्स पीटीई। लिमिटेड का निर्णय, वास्तव में, सभी चार पर है और वर्तमान मामले के तथ्यों को नियंत्रित करेगा।

बी.

19. मामले के इस दृष्टिकोण में, हम विवादित फैसले को दरकिनार कर देते हैं

दिनांकित 26.10.2018 और अपील की अनुमति दें।

देविका गुजराल